सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या — 02/2019 आर.टी.आई.
दायर दिनांक — 27.08.2019
निर्णय दिनांक — 17.09.2019

श्री शिवप्रकाश पुरोहित पुत्रश्री गोविन्द लाल पुरोहित, निवासी आवलहेडा, वाया बस्सी जिला चित्तौड़गढ़	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :—

श्री शिवप्रकाश पुरोहित पुत्रश्री गोविन्द लाल पुरोहित, निवासी आवलहेडा, वाया बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 23.08.2019 (दिनांक 26.08.2019 को प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं विनिर्दिष्ट अवधि उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 4819—20 दिनांक 28.08.2019 से श्री शिवप्रकाश पुरोहित द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति—उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 30.08.2019 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी श्री शिवप्रकाश पुरोहित द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2019 प्रस्तुत कर उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शिकायती पत्रों दिनांक 12.02.2019 एवं 22.04.2019 पर इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। उक्त शिकायती पत्रों पर इस कार्यालय द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को पत्र दिनांक 21.02.2019 एवं 24.04.2019 से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था एवं इस कार्यालय के इन पत्रों की प्रति प्रार्थी श्री शिवप्रकाश को भी उपलब्ध कराई गई। अपीलार्थी द्वारा इन पत्रों की प्रति अपील के साथ संलग्न की गई जो यह इंगित करती है कि वह इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से अनभिज्ञ नहीं है। उक्त शिकायत पत्रों पर अग्रिम कार्यवाही जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से अपेक्षित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को लोक सूचना अधिकारी/अति.

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुए प्रार्थी श्री शिव प्रकाश पुरोहित को भी अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से पत्राचार/सम्पर्क हेतु लिखा गया। प्रस्तुत आवेदन जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करने से उनके कार्यालय से प्रदान की जाने वाली सूचना से असंतुष्ट होने पर प्रथम अपील जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जा सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त फरमाया जावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 5124 दिनांक 11.09.2019 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। अपीलार्थी अपील के आधारों को एवं लोक सूचना अधिकारी के उत्तर का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खण्डन करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से सन्तुष्ट है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीताराम भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

क्रमांक- 5268-69 दिनांक -17/09/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01– लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02– श्री शिवप्रकाश पुरोहित पुत्रश्री गोविन्द लाल पुरोहित, निवासी आवलहेडा, वाया बस्सी जिला चित्तौड़गढ़

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

कार्यालय संभागीय आयुक्त उदयपुर